



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



अनुस्मारक- I

संख्या: 10/1/2025-प्रशा./2286-2323

दिनांक: 19 मार्च, 2025

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 10/1/2025-प्रशा./ (i)/701-39 दिनांक 30.01.2025 के क्रम में यह पाया गया है कि अभी तक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के बहुत से कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा अद्यतन AMA की सूचना राज.वि.अ. प्रशासन अनुभाग को नहीं दी गई है। सभी से अनुरोध है कि अद्यतन AMA की सूचना दिनांक 31.03.2025 तक जमा कराएं। अद्यतन AMA की सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुराने AMA चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

यह महानिदेशक महोदय, राज.वि.अ. के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(खुशाल सिंह)
उप निदेशक (प्रशा.)

सेवा में :-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर)/(दक्षिण), राज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद।
2. निदेशक (तक./SCILR)/(वित्त)/(प्रशा.)/(एम.डी.यू.), राज.वि.अ., नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता-(दक्षिण)/(उत्तर), राज.वि.अ., पालिका भवन, नई दिल्ली।
4. सभी अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण सर्किल, राज.वि.अ.।
5. अधिशासी अभियंता (मुख्या.), राज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
6. सभी कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, राज.वि.अ.।
7. सहायक अभियंता, अन्वेषण उप-प्रभाग, राज.वि.अ., जयपुर/पन्ना।
8. सहायक निदेशक (रा.भा.), राज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
9. बेव मास्टर, राज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
10. कार्यालय आदेश मिसिल।
11. नोटिस बोर्ड।
12. गार्ड फाईल।

प्रति सूचनार्थ:-

1. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, राज.वि.अ., नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मुख्या.) के निजी सचिव, राज.वि.अ., नई दिल्ली।

